न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 506—दो/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—10—2012 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, सीहोर के प्रकरण क्रमांक 54/निगरानी/2010—11

.....

रमेश पुत्र भगवान सिंह
निवासी— ग्राम बिजलोन,
तहसील व जिला — सीहोर,(म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— थानसिंह पुत्र तुलसीराम
2— तुलसीराम पुत्र रेवाराम
निवासीगण— ग्राम बिजलोन, दोहारा
तहसील व जिला — सिहोर,(म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 गुरौदिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन0 एस0 ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
शेष अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 28.11. 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि अनावेदक की ओर से ग्राम बिजलोन स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 296/1/2 व 296/1/3 कुल रकबा 5.00 एकड का सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–12/09–10 पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने के आदेश दिये गये। पटवारी द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सीमाकंन प्रतिवेदन में आवेदक/अनावेदक की भूमि खसरा क्रमांक 296/1/2 व 296/1/3 कुल रकबा 5.00 एकड में से 3.00 एकड पर निगरानीकर्ता रमेश पिता भगवान सिंह का अवैध कब्जा होना प्रतिवेदित किया गया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 30.06.10 द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, सीहोर के समक्ष प्रस्तुत कि गई है जो प्रकरण क्रमांक 54/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 को निरस्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीहोर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2010 यथावत रखा गया । इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन कार्यवाही हल्का पटवारी ने की है जबकि राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने का आदेश पारित हुआ है। हल्का पटवारी ने आवेदक को सूचना पत्र सीमांकन के समय उपस्थित होने हेतु जारी किया है, परंतु उसकी तामिल आवेदक पर नहीं हुई है, आवेदक की अनुपस्थित में सीमांकन किया गया है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पटवारी ने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने की मिथ्या टीप अंकित की है । सूचनापत्र की तामील को सही मानने के साथ ही पंचनामा पर हस्ताक्षर करने संबंधी टीप को सही माना है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के माध्यम से करा सकता है। नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक को इस प्रकरण में आदेश दिया गया है, परंतु सीमांकन हल्का पटवारी ने एकपक्षीय तौर पर और अनावेदक से सांठ–गांठ कर किया है, जो अवैध है। अनावेदक ने सीमांकन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि मनोहर नाम व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है। सीमांकन मेंडिया कृषकों की भी उपस्थिति में नहीं किया है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर ध्यान न देते हुये आदेश पारित किया है, ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है । अनावेदक क्र0 2 पूर्व से ही एक पक्षीय है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भली भांति परिशीलन किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया गया कि आवेदक को विधिवत नोटिस जारी होकर तामील नहीं हुआ है । आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । नायब तहसीलदार के अभिलेख के अनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक रमेश को सीमांकन समय स्थल पर उपस्थित रहने का सूचना पत्र जारी किया गया है । सूचना पत्र के पृष्ठभाग पर " सूचना दी गई सूचना पत्र लेने से इंकार" टीप अंकित है । पंचनामें में भी पड़ोसी कृषक को सूचना दी गई, मौके पर उपस्थित, हस्ताक्षर करने से इंकार करने का उल्लेख है । जहॉ तक आवेदक का तर्क है कि सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा न किया जाकर पटवारी द्वारा किया गया है। इस संबंध में भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत नियम क्रमांक 5 में उल्लेखित है कि " प्रार्थना पत्र मिलने पर तहसीलदार पटवारी द्वारा रखे गये अभिलेख पर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर राजस्व निरीक्षक अथवा ग्राम के पटवारी के माध्यम से सर्वे मानांक अथवा उपखंड अथवा प्लाट क्रमांक जैसी भी दशा हो, की पैमायश करायेगा तथा उस पर सीमा चिन्ह लगायेगा।"

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक को सीमांकन की सूचना जारी की गई है एवं धारा 129 के तहत बने नियम क्रमांक 5 के अनुसार पटवारी द्वारा सीमांकन किया जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर